[illegible] को सम्पूर्ण भूमि पर [illegible] के दिनांक 24.06.2022 [illegible] आदेश दिनांक 03.08.2022 से [illegible] खातेदारी भूमि का नामान्तरकरण [illegible] रहे है। अतः स्थगन आदेश दिनांक [illegible] अप्रार्थी संख्या 28 के पक्ष रजिस्टर्ड विक्रय [illegible] दिनांक 24.06.2022 [illegible] आधार पर खातेदारी दर्ज किये जाने के आदेश [illegible] दिनांक 24.06.2022 के अप्रार्थी संख्या 28 को खातेदारी भूमि का [illegible] आदेश [illegible] रजिस्टर्ड विक्रय [illegible] दिनांक 24.06.2022 के आधार पर नाम दर्ज करने के लिए उक्त स्थगन आदेश से मुक्त किये जाने की स्वीकृति प्रदान की।

न्यायालय के प्रार्थना पत्र दिनांक 13.03.2024 अप्रार्थी संख्या 28 स्वीकार कर आदेश दिया जाता है कि अप्रार्थी संख्या 28 को न्यायालय द्वारा जारी स्थगन आदेश दिनांक 03.08.2022 से दिनांक 24.06.2022 रजिस्टर्ड विक्रयपत्र द्वारा खातेदारी भूमि का नामान्तरकरण खुलवाने की हद तक अस्थायी अस्थाई निषेधाज्ञा से मुक्त किया जाता है। उक्त रजिस्टर्ड विक्रय पत्र के आधार पर तहसीलदार श्रीगंगानगर नामान्तरकरण कर खातेदारी दर्ज करने के लिये स्वतंत्र होंगे। शेष अप्रार्थीगण के लिए उक्त अस्थायी अस्थाई निषेधाज्ञा दिनांक 03.08.2022 यथावत रहेगा। पत्रावली वास्ते तामील बकाया अप्रार्थीगण व जवाब प्रार्थना पत्र 39 सी.पी.सी. हेतु दिनांक 12.07.2024 को पेश हो।

(राजवीर सिंह यादव)
उपखण्ड अधिकारी
श्रीगंगानगर (राज.)

पत्रावली पेश हुई। [illegible]
[illegible]
दिनांक [illegible] को पेश हो।

पत्रावली पेश हुई। [illegible]
अनुपस्थित [illegible]
जवाब लगाने के उपरान्त भी [illegible]

Signature Not Verified
Digitally signed by Rajveer Singh Yadav
Date: 2025.03.26 11:33:44 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with OKEN Scanner

कोई उपस्थित नहीं आया। अत: प्रार्थी का प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा अदम हाजरी अदम पैरवी में खारिज किया जाता है पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम होकर दफ्तर दाखिल हो

(राजवीर सिंह या
उपखण्ड अधिका
नीमकाथाना (प्र

Signature Not Verified

Digitally signed by Rajveer Singh Yadav
Date: 2025.03.26 11:33:44 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with OKEN Scanner